

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायगढ़(छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक 7217 /न्या.लि./2020

रायगढ़, दिनांक 31-05-2020

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को संक्रमण बीमारी घोषित किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व में खतरा उत्पन्न हो गया है। राज्य में भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के बढ़ने के दृष्टिगत छ0ग0शासन द्वारा स्वास्थ्य के दृष्टिगत COVID-19 के पीड़ित/संदेही से संपर्क/दूर रहने एवं इससे बचने के सभी प्रकार के संभावित उपायों को अमल में लाने एवं COVID-19 के संभाव्य प्रसार के नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17-05-2020 के परिपालन में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5428/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 17-05-2020 के द्वारा जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ संपूर्ण जिले में दिनांक 18-05-2020 से 31 मई 2020 मध्य रात्रि तक या आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया गया था।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 30 मई, 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र. वि./2020, रायपुर दिनांक 31-05-2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देश/एडवायजरी के अनुक्रम में दिनांक 01 जून 2020 से दिनांक 30 जून, 2020 तक तत्काल प्रभाव से लॉकडाउन घोषित किया जाता है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 30 मई 2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक 288/स.सा.प्र. वि./2020, रायपुर दिनांक 31-05-2020 में दिये गये निर्देश/गाईड लाईन/एडवायजरी के अनुक्रम में जिला रायगढ़ में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों का संचालन प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक सप्ताह में दिन-रविवार को एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेन्मेंट/बफर जोन को छोड़कर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश) की जा सकेगी।

1- परन्तु आगामी आदेश पर्यन्त निम्न गतिविधियाँ जिले में प्रतिबंधित रहेगी :-

- (1) जिले में सार्वजनिक परिवहन यान यथा यात्री/सिटी बस की सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
- (2) व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा।
- (3) व्यक्तियों के अन्तर्जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा।
- (4) सब्जी एवं फल का विक्रय सशर्त (समय पूर्ववत् प्रातः 07:00 से प्रातः 11:00 बजे तक प्रतिदिन) की ही अनुमति होगी। इसी प्रकार टैले के माध्यम से फल एवं सब्जी घूम-घूमकर प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक बेची जा सकती है किन्तु झुण्ड में नहीं रहेंगे दो टैलों के बीच कम-कम से 20 फीट की दूरी होना आवश्यक है।
- (5) मिल्क पार्लर/दूध डेयरी का संचालन प्रतिदिन सशर्त- प्रातः 06:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक एवं सायं 04:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक रहेगी।
- (6) घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर को प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक की ही अनुमति होगी।
- (7) सभी होटल, रेस्टोरेंट एवं हास्पिटैलिटी सेवाएं (मसाज पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर ऑपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लॉज, कैफे, डिस्कोथीक) बंद रहेंगी। अपवाद-स्वास्थ्य/पुलिस/शासकीय सेवक/स्वास्थ्यकर्मी/श्रमिक/ पर्यटक सहित फंसे हुये लोग एवं क्वारेंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, बस डिपो/स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन में संचालित कैंटीन रेस्टोरेंट/होटल को छोड़कर। रेस्टोरेंट एवं होटल को होम डिलिवरी हेतु अनुमति होगी।
- (8) व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय परिवहन, छुट-चिकित्सकीय कारण से/गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ।

- (9) सभी विद्यालय, सभी महाविद्यालय, शैक्षणिक/ट्रेनिंग/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाईन /डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी।
- (10) समस्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
- (11) सार्वजनिक पार्क 07 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
- (12) क्लब एवं बार का संचालन बंद रहेगा।
- (13) सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर (स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स), स्टेडियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन उद्यान (सार्वजनिक पार्क) थियेटर, तथा ऑडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, साप्ताहिक/हॉट बाजार, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
- (14) सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक गतिविधियाँ एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
- (15) सभी धार्मिक स्थान/पूजा के स्थान आम जन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभाएं कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगे।
- (16) यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग/अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाय। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
- (17) शहरी/नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों का संचालन मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ से सत्यापन/अनुमति उपरांत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए प्रारंभ की जा सकती है।

2- टेला/गुमटी संचालन की अनुमति निम्नांकित निर्देश के तहत होगी :-

- (1) पान दुकान/ठेले में विक्रय (दिन रविवार को छोड़कर) किये जाने वाले पदार्थ-सिगरेट, पान, बीडी, तम्बाकू, गुटखा, गुड़ाखू का उपभोग/उपयोग सार्वजनिक स्थान/पान टेला पर किये जाने पर प्रतिबंध होगा। पान दुकान/ठेले से इन सामग्रियों का मात्र विक्रय ही किया जावेगा।
- (2) ठेले/गुमटी, सोमवार से शनिवार प्रातः 07:00 बजे से सायं 06:00 तक खोले जायेंगे।
- (3) 02 ठेलों के बीच कम से कम 20 फीट की दूरी रहेगी।
- (4) शहर में घूमकर आवश्यक सामग्री (यथा फल सब्जी) वाले ठेले सप्ताह में 07 दिन चल सकेंगे।
- (5) यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और ठेले अधिक हो तो वहाँ आयुक्त/CMO द्वारा ऑड-ईवन या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फीट की दूरी का पालन करायेंगे। इस हेतु अतिरिक्त स्थान का चयन आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा किया जा सकेगा।
- (6) विक्रेता-क्रेता दोनो का ही मॉस्क/कपड़ा/गमछा चेहरे में लगाना आवश्यक होगा।
- (7) टेला संचालक को ठेले में **टेक अवे का बोर्ड लगाना** अनिवार्य होगा। स्थानीय निकाय द्वारा भी इस आशय का नोटिस सभी प्रमुख स्ट्रीट वेंडिंग स्थानों में लगाया जायेगा।
- (8) सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
- (9) सेनिटाईजर/साबुन/पानी रखना अनिवार्य होगा।
- (10) टेक अवे अनिवार्य होगा ठेले में खड़े होकर खाने की सुविधा नहीं दी जायेगी।
- (11) ठेले के पास गोल मार्किंग की जायेगी, दूरी बनाकर खड़ा होना होगा।

उक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। शहरी/नगरीय क्षेत्र में आयुक्त/CMO तथा संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव, समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

3- सेलून/नाई दुकान एवं ब्यूटी पार्लर के संचालन हेतु शर्त :-

- (1) "सेलून/नाई दुकान" एवं "ब्यूटी पार्लर" सप्ताह में **एक दिन-मंगलवार को छोड़कर** शेष दिनों में प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग/फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये 50% कर्मचारियों की उपस्थिति (मॉस्क पहनने के निर्देश) में संचालित किया जावे।

- (2) व्यक्ति/ग्राहकों का रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी जैसे-नाम, पता, मोबाईल नंबर आदि का ब्यौरा अनिवार्यतः रखा जावे।
- (3) कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत-
 - (क) शारीरिक दूरी बनाये रखे।
 - (ख) भीड़ न बढ़ाये।
 - (ग) ग्राहक पूर्व से नाम लिखवायें एवं एपाइंटमेंट लेवे।

उक्त निर्देश को दुकान के अग्र भाग पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।

- (4) दुकान में भीड़ या प्रतीक्षारत व्यक्ति/ग्राहकों को कम करने की दृष्टि से पूर्वानुमति प्राप्त कर उसी क्रमानुसार व्यक्तियों का सेविंग या कटिंग, डाई करना सुनिश्चित करें।
- (5) दुकान में सेनिटाईजर/हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- (6) उपयोग किया गया ब्लेड और डिस्पोजल सामग्रियों को प्रत्येक नये उपकरण आदि के साथ बदलना अनिवार्य होगा।
- (7) सेलून संचालक को प्रत्येक ग्राहक के कार्य पश्चात् कैंची, उस्तरा, सेविंग, ब्रश, कंघी एवं कुर्सी समस्त उपकरण को सेनिटाईज करना अनिवार्य होगा।
- (8) दुकान में वेटिंग करने हेतु अलग से कुर्सी नहीं रखा जावेगा। एक ही ग्राहक/व्यक्ति दुकान में प्रवेश करेगा।
- (9) व्यक्ति/ग्राहक को स्वयं के द्वारा टॉवेल/कपड़ा लाना अनिवार्य होगा।
- (10) दुकान में भीड़ बढ़ने अथवा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए दुकान संचालक जिम्मेदार होंगे एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही के भागी होंगे।

4- जिले/क्षेत्र के कन्टेनमेंट जोन घोषित होने पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/एडवायजरी अनुसार पालन मान्य होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कन्टेनमेंट जोन में नहीं होगी।

5- **जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी-**

- (1) अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
- (2) उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
- (3) कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
- (4) प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से होम डिलेवरी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
- (5) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।

6- **व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय :-**

- (1) **रात्रि कर्फ्यू** - गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 17-05-2020 एवं छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 253/स.सा.प्र.वि./2020, दिनांक 17-05-2020 के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5427/न्या.लि./2020, रायगढ़ दिनांक 17-05-2020 के अनुशरण में अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तिगत आवाजाही सम्पूर्ण रायगढ़ जिला में रात्रि 07:00 से प्रातः 07:00 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगी, जिसका कड़ाई से पालन किया जावे।
- (2) 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं।

- (3) आम जन को सलाह दी जाती है कि वे अपने फोन में **Arogya setu app** इंस्टाल करे और उसमें रोजाना अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करे।
- (4) दफ्तरों और कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में **Arogya setu app** डाउनलोड करवायें।


7- सार्वजनिक स्थलों हेतु कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के निर्देश/शर्तें :-

- (1) सार्वजनिक एवं कार्यस्थल पर फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) दुकान में एक समय में पांच से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा न होने दिया जाये।
- (3) सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः किया जाये।
- (4) दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।
- (5) दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
- (6) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक स्थल में थुकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- (7) दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु इत्यादि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- (8) दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेंसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जाये।
- (9) Work from home (WFH) को बढ़ावा दिया जावे।
- (10) संपूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जावे।
- (11) विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
- (12) अंतिम संस्कार/अन्त्येष्टि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदार/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
- (13) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
- (14) समस्त कारखाना/औद्योगिक संस्थान के संचालक/प्रबंधक, अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों के आने की अनुमति जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ से लेगा एवं जिले में आने के उपरांत इसकी सूचना उद्योग विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग को देगा साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों/श्रमिकों को शासन के दिशा-निर्देश का पालन करते हुये क्वारंटाईन में रखे जाने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

दाण्डिक प्रावधान :-

उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
रायगढ़ (छ.ग.)